न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
37/2018	2018/00101	17.05.2019	15.09.2022

उनवान प्रकरण

नन्छी देवी पत्नी ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम पारोड़ा पटवार हल्का हथौरा उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

———प्रार्थीया

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. भागला पुत्र बोदूराम
3. **नारायण पुत्र बोदूराम (मृतक)**

   3/1 जगदीश प्रसाद

   3/2 बाबूलाल

   3/3 मूलचन्द

   3/4 रामजीलाल

   3/5 सीताराम पुत्रगण स्व. नारायण

   3/6 सुन्दरी देवी पत्नी स्व. नारायण
4. छोटूराम पुत्र बोदूराम

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम पारोड़ा पटवार हल्का हथौरा उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:53 IST
Reason: SelfAttested

———अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

15/09/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थितः–

श्री धर्मेन्द्र कुमार गुर्जर एड0, प्रार्थीया की ओर से।
श्री गिरिराज शर्मा, एड0 अप्रार्थी संख्या 2, 3/1, 3/3, 3/5, 3/6 व 4 की ओर से अभिभाषक। (अनुपस्थित)

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अंतर्गत धारा 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 हैक्टर राजस्व ग्राम परोड़ा पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/एल आर/29 दिनांक 17.05.2017 की पालना में पटवार हल्का हथौरा के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2017 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। मौके पर वर्तमान समय में भूमिया खाली पड़ी है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुयी नही है तथा किसी भी पड़ौसी काश्तकारान से मौके पर सीमा का कोई विवाद नही है। इसलिये प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:53 IST
Reason: SelfAttested

15/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 हैक्टर तन् राजस्व ग्राम पारोड़ा पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्थरगढ़ी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.06.2017 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी में किया है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 की ओर से एंव अप्रार्थी संख्या 3 के फौतगी पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/3, 3/5, 3/6 की ओर से श्री गिरीराज शर्मा एड0 उपस्थित आये एंव जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी हेतु अवसर चाहा। वकील अप्रार्थीगण को जवाब हेतु अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 3/2 व 3/4 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 3/2 व 3/4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने एंव हाजिर अदालत नहीं आने पर जवाब देही का अवसर बन्द किया जाकर वकील अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील प्रार्थीया ने प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी जाकर पटवारी हल्का हथौरा द्वारा किए गए सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हुए आज ही [illegible] जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

15/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम पारौड़ा पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 87 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 हैक्टर तन् राजस्व ग्राम पारोड़ा पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्थरगढ़ी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.06.2017 को विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बरान् का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुई नहीं है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पारौड़ा पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 87 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 हैक्टर जिसके 3/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 29/भू.अ./2022 दिनांक 17.05.2017 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बर का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। उक्त विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:53 IST
Reason: SelfAttested

13/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का हथौरा द्वारा दिनांक 10.06.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पारौड़ा पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का हथौरा द्वारा दिनांक 10.06.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 1[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:53 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)